

[Faint, mostly illegible text at the top of the page]

[Faint text, possibly a date or reference number]

[Faint text, possibly a list or description of items]

[Faint text, possibly a note or instruction]

[Faint text, possibly a signature or stamp]

दिनांक 02/02/2022 303-35
 श्री/श्रीमती

1. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
2. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
3. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
4. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र
5. प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र

को नए रकम उपरोक्त रकम में समावेश
बिना शुल्क

8094/66674

[Signature]
 उपस्थित अधिकारी

कर्मचारी रक्षणीय (22) अधिकारी
 दिनांक 02/02/2022/2022 दिनांक 25/02/22
 इस हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।
 निम्नलिखित में प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

नगरपालिका (च.स.) प्रशासनाधीन



1282
14/10/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/ 327

दिनांक: 16.11.21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

5/2/22

आखंडिह कोरा

आखंडिह कोरा

RA
letter to
TDR
14/10/24

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गठी

राजस्व आवेदन सं. 153/20.

निर्णय दिनांक - 16/11/21

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम पानिकान के खेत खसरा
नम्बर 90 रकबा 2.7-02 खसरा नम्बर 319 रकबा 1.2-08 खसरा
नम्बर 409/319 रकबा 3-18 खसरा नम्बर रकबा एवं
खसरा नम्बर रकबा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुडामालानी को कमीशनर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावे। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

दिनांक: 16.11.21

क्रमांक: वाद/2021/ 328-32

प्रतिलिपि:

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी गुडामालानी
3. हल्का पटवारी
4. प्रार्थी आखंडिह कोरा
5. विप्रार्थी आखंडिह कोरा

को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी

खिरासिह

8094/66674

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

क्रमांक/प्र.क्र/2021/298
दिनांक 25/12/22
श्री 01 पाठ्यापी शा.पु.क. / 2 LR पी.प.की के
निपतण्डु शा. मे.प.प.की हेतु पाठ्यापी उपलब्ध

तहसीलदार (पु.प.) गुडामालानी